न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,बरेली।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 906/2026

सी0एन0आर0नम्बर यू0पी0बी0आर0.01.003611–2026

दीपान्शु पुत्र कमल शर्मा निवासी ग्राम रामनगर थाना आंवला, जिला बरेली।

.....**अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ––––– **अभियोजन पक्ष**

दिनांकः 11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **दीपान्शु** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 34 सन् 2026 अन्तर्गत धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना अलीगंज बरेली के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना गया। अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 19.2.2026 को उपनिरीक्षक वीर सिंह मय पुलिस बल थाना हाजा से रपट सं0 56 समय 20.09 बजे वास्ते चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त ड्यूटी में चौकी क्षेत्र में रवाना होकर गैनी से चन्दनपुर की तरफ जाने लगे तो जैसे ही पुलिस बल चन्दनपुर से पहले कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो चंदनपुर की तरफ से मोटरसाईकिल से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जैसे ही ही पुलिस वालो ने मोटरसाईकिल से आने वाले दोनो व्यक्तियो पर टार्च की रोशनी मारी तो मोटर साईकिल से आने वाले दोनो व्यक्ति पुलिस वालो को देखकर भागने लगे जिन्हे कब्रिस्तान से पहले बनी दीवार के पास सड़क किनारे समय 21.05 बजे पकड़ लिया। पकडे गये पकडे गये व्यक्तियो से भागने का कारण पूछा तो दोनो ने बताया कि साहब हमारे पास अफीम है इसलिये बचकर भागने लगे थे। इस पर हम पुलिस बल ने पकड़े गये व्यक्तियो को उनके धारा 50 NDPS ACT के अधिकार से अवगत कराया कि यदि आप चाहे तो अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से कराना चाहते है तो करा सकते है यह आपका कानूनी अधिकार है इस पर पकडे गये व्यक्तियों ने कहा कि जब आपने हमे पकड ही लिया है तो आप ही हमारी जामातलाशी ले लो हम किसी अधिकारी को गवाह नहीं बनाना चाहते है। इस पर उपनिरीक्षक ने श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय आंवला से CUG NO- 94544XXXXX पर सम्पर्क किया तो फोन पर सम्पर्क हो गया उपनिरीक्षक द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी आंवला को पकडे गये व्यक्तियो के बारे में जानकारी दी जानकारी देने के कुछ समय बाद श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मौके पर आ गये। क्षेत्राधिकारी महोदय के समक्ष पकडे गये व्यक्तियो से बारी बारी से नाम पता पूछने हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम लाल सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी लक्ष्मणपुर मजरा रामनगर थाना आंवला जनपद बरेली बताया, इसकी जामातलाशी से पहने गये पैन्ट की दाहिनी जेब से एक सफेद पन्नी में काले रंग मुलायम पदार्थ मिला जिसको उपनिरीक्षक व हमराहीयान को सुंघाया गया तो काले पदार्थ से तीक्ष्ण अफीम की बू आ रही है तथा दूसरी जेब में रखा एक मोबाईल फोन REALME C21 Y बरामद हुआ तथा दूसरे व्यक्ति की नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम दिपान्शु पुत्र कमल कुमार शर्मा निवासी रामनगर थाना आंवला जनपद बरेली बताया इसकी जामातलाशी पर पहने पैन्ट की दाहिने जेब से एक सफेद पन्नी में रखा काले रंग का मुलायम पदार्थ मिला जिसको उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार गौतम ने सूंघा व हमराहीयान को सुंघाया तो अफीम की तीक्ष्ण बू आ रही है तथा पहने पैन्ट की बांयी जेब से एक अदद मोबाईल

फोन REALMEC 53 बरामद हुआ व दो सौ बीस रुपये बरामद हुए जो इसे उसी समय वापस किये गये पकड़े गये व्यक्तियो से बरामद अफीम का वजन करने हेतु कांस्टेबिल नकुल भाटी को भेजकर इलैक्ट्रानिक कांटा मंगवाया गया कुछ देर बाद कांस्टेबिल नकुल भाटी इलैक्ट्रानिक कांटा लेकर आ गये जिस पर बारी बारी से पकडे गये व्यक्तियो से बरामद अफीम का वजन किया गया तो लाल सिंह से पकड़ी गयी अफीम का वजन 430 ग्राम व दिपान्शु से बरामद अफीम का वजन 390 ग्राम है। पकडे गये व्यक्तियो से अफीम रखने का लाईसेंस तलब किया गया तो कासिर रहे और माफी मांगने लगे पकडे गये व्यक्तियो से अफीम के बारे में जानकारी की गयी तो बताया कि हम कम दामो में खरीद कर महंगे दामो में बेच देते है। पकडे गये व्यक्तियो का यह जुर्म धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0एक्ट की हद को पहुंचता है। पकड़े गये व्यक्तियो को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 22.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। जनता के गवाहान फराहम करने की कोशिश की तो रात्रि होने के कारण कोई व्यक्ति नहीं मिल सका। पकडे गये व्यक्तियो से बरामदशुदा अफीम को उसी पालोथीन सहित अलग अलग सफेद कपडे मे रखकर सील कर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर एवं सहमति पत्र अलग अलग तैयार किये गये तथा दोनो अभियुक्तो से बरामद फोन को अलग अलग पारदर्शी डिब्बो में रखकर नामवार चिटबन्दी की गयी तथा बरामद मोटरसाईकिल सं0 UP 25 DU 6549 हीरो स्पलेन्डर रंग काला को थाने ले जाकर सीज किया जायेगा। अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुंचकर जरिये उचित माध्यम उनके परिजनो को दी जायेगी। फर्द मौके पर उपनिरीक्षक द्वारा टार्च की रोशनी में तैयार कर हमराहीन को पढ़कर सुनाकर गवाही बनवायी गयी तदोपरान्त वादी मुकदमा/उपनिरीक्षक वीर सिंह की फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व अभियोग पंजीकृत किया गया।

जमानत प्रार्थना पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखे गये तथ्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त को बाद में झूठा एवं बेबुनियाद रूप से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बनावटी एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। अभियुक्त निर्दोष है उसके द्वारा किसी तरह का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त मैच खोल कर अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 20.02.2026 को समय रात्रि 12.08 बजे की दर्शायी गयी है जबकि दिनांक 19.02.2026 को रात्रि 9.05 बजे पुलिस अभियुक्त को रास्ते से उठाकर ले गयी है। अभियुक्त के पास से 390 ग्राम अफीम की फर्जी बरामदगी थाना पुलिस द्वारा दर्शायी गयी है जो कि वार्णिज्य मात्रा के अन्तर्गत नहीं आती है तथा धारा 37 एन0डी0पी0एस0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अभियुक्त से दर्शायी गयी कथित बरामदगी के समय किसी स्वतंत्र साक्षी का होना नहीं पाया गया है जो गवाह प्रस्तुत किये गये हैं वे सभी पुलिस वाले हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय धारा 50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है न ही किसी राजपत्रित अधिकारी को कॉल की गयी, जो राजपत्रित अधिकारी के दूरभाष नम्बर पर कॉल करना बताया है सरासर गलत है जिसके सम्बन्ध में न कोई सी0डी0आर0 कोई कॉल डिटेल का स्क्रीन शाप एफ0आई0आर0 के साथ संलग्न है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश/निर्देशों का अनुपालन अपराध धारा 105 बी0एन0एस0एस0 फर्जी व मनमाने तरीके से किया गया है तथा अपराध धारा 103(4) बी0ए0एस0एस0 का अनुपालन नहीं किया गया है। बरामद अफीम की मौके पर प्रयोगशाला भेजने के लिये पृथक नहीं किया गया है। थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त से सहमति पत्र जबरन लिखाया गया है। बाद उपरोक्त को बाबत किसी स्वतंत्र साक्षी का होना नहीं पाया गया है। अभियुक्त का किसी तरह का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 20.02.2026 से जिला कारागार, बरेली में निरूद्व है। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त के पास से 390 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क तथा अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त पर अफीम की अवैध तस्करी का आरोप है तथा अभियोजन की ओर से यह भी कहा गया है कि अभियुक्त के पास से 390 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अतः केस के तथ्यों, परिस्थितियों, बरामद अफीम की मात्रा तथा उसकी बाजारी कीमत को दृष्टिगत रखते हुये जमानत प्रार्थनापत्र में लिखे तथ्य अभियुक्त की जमानत हेतु पर्याप्त आधार प्रकट नही करते। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **दीपान्शु** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 34 सन् 2026 अन्तर्गत धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना अलीगंज बरेली के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(कुमारी अफशॉ)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–1,
जनपद बरेली।

दिनांकः 11.03.2026

Digitally signed by AFSHAN
Date: 2026.03.13 11:01:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court